UPGK010051022026

न्यायालय : सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।

नियमित जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या- 2225/2026,

1- परवेज पुत्र हमीद,

2- अफरोज पुत्र हमीद,

निवासीगण- ग्राम बंजरिया परसा, थाना- बखिरा,

जिला- सन्त कबीर नगर। आवेदकगण/अभियुक्तगण,

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी,

अपराध संख्या- 359/2025,

धारा- 305,331 (4),317 (2),111 (4),111 (6),111 (7)

भारतीय न्याय संहिता,

थाना- सिकरीगंज, जनपद- गोरखपुर।

02.06.2026

आदेश

नियमित जमानत का यह प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा- 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आवेदकगण/अभियुक्तगण परवेज व अफरोज, जो अपराध संख्या- 359/2025, धारा- 305,331 (4),317 (2),111 (4),111 (6),111 (7) भारतीय न्याय संहिता, थाना- सिकरीगंज, जनपद- गोरखपुर के अन्तर्गत न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है, के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

अभियोजन कथानक के अनुसार दिनांक 31.08.2025/01.09.2025 की रात में अज्ञात चोरो द्वारा प्रथम सूचनाकर्ता कृष्ण कुमार के घर में घुसकर बक्सा और आलमारी तोड़ कर उसमे रखे गहने अनुमानित कीमत करीब तीन लाख रूपये चुरा ले गये और उसी रात गॉव के रामशकल व बाबुलाल के घर में भी अज्ञात चोरो ने बक्से का ताला तोड़कर चोरी किये।

दौरान विवेचना दिनांक 10.09.2025 को आवेदक/अभियुक्तगण परवेज व अफरोज तथा सह-अभियुक्तगण इरफान, सोनू, चॉद अली उर्फ तौफिक व भीम को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया, तो आवेदकगण/अभियुक्तगण की प्रस्तुत प्रकरण में संलिप्तता प्रकाश में आयी।

आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदकगण/ अभियुक्तगण सर्वथा निर्दोष एवम् निरपराध हैं। असत्य कथनों के आधार पर उन्हें इस मामले

में लिप्त किया गया है। आवेदकगण/अभियुक्तगण प्राथमिकी में नामित नहीं है। तथाकथित घटना का कोई स्वतन्त्र व निष्पक्ष साक्षी नहीं है। आवेदकगण/अभियुक्तगण काफी समय से जिला कारागार में निरूद्ध है। इन समस्त आधारों पर उन्होंने आवेदकगण/अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया है।

अभियोजन पक्ष की तरफ से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक ने जमानत प्रार्थना-पत्र का प्रबल विरोध एवम् खण्डन करते हुए तर्क प्रस्तुत किया है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण कथित चोरी के अपराध में संलिप्त थे। आवेदकगण/अभियुक्तगण व सह-अभियुक्तो द्वारा संगठित अपराध सिडिकेट के सदस्य के रूप में किया जाता है। आवेदकगण/अभियुक्तगण के पास से चोरी का सामान बरामद किया गया है। अतएवं मामले की गम्भीरता एवम् आवेदकगण/अभियुक्तगण की कथित अपराध में भूमिका को देखते हुए उनके द्वारा जमानत प्रार्थना-पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

मैंने जमानत प्रार्थना-पत्र पर आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के विद्वतापूर्ण तर्को को विस्तारपूर्वक सुना एवम् समस्त अभियोजन प्रपत्रों का परिशीलन किया।

अभियोजन प्रपत्रों के परिशीलन से ज्ञात है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण प्राथमिकी में नामित नहीं है और न ही उसे मौके से गिरफ्तार किया जाना कथित है। कथित गिरफ्तारी व बरामदगी का कोई जनसाक्षी होना नहीं बताया गया है। अभियोजन द्वारा आवेदकगण/अभियुक्तगण की पूर्व आपराधिक पृष्ठभूमि प्रस्तुत की गयी है, किन्तु किसी मामले में आवेदकगण/अभियुक्तगण को दोषसिद्ध होना नहीं बताया गया है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण अन्यथा जमानत प्राप्त कर सकता है, तो मात्र आपराधिक पृष्ठभूमि होने से उसके जमानत प्रार्थना-पत्र को निरस्त नहीं किया जा सकता। मामले के विचारण की अवधि में आवेदकगण/अभियुक्तगण को पलायन किये जाने, साक्ष्य से छेड़छाड़ करने या साक्षीगण को डराये धमकाये जाने की कोई आशंका अभियोजन पक्ष द्वारा व्यक्त नहीं की गयी है। आवेदकगण/अभियुक्तगण को काफी समय से जिला कारागार में निरूद्ध होना बताया गया है।

अतः प्रकरण के तथ्य, परिस्थितियों व अपराध की प्रकृति आदि को दृष्टिगत रखते हुए, गुणावगुण पर कोई निश्चयात्मक मत व्यक्त किए बिना, आवेदकगण/अभियुक्तगण को सशर्त जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार है।

आवेदकगण/अभियुक्तगण परवेज व अफरोज का उपरोक्त जमानत प्रार्थना-पत्र सशर्त स्वीकार किया जाता है। आवेदकगण/अभियुक्तगण प्रत्येक को प्रकरण में सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि के अधीन 25,000-25,000/-रूपये के स्वबन्धपत्र, उसी धनराशि के दो-दो प्रतिभू एवम् निम्न आशय की बचनबद्धता प्रस्तुत करने पर दौरान विचारण जमानत पर रिहा किया जाए :-

1- आवेदकगण/अभियुक्तगण निष्पादित बन्धपत्र में वर्णित शर्तो के अनुसार विवेचना/ न्यायालय की कार्यवाही में प्रतिभाग करेगे,

2- आवेदकगण/अभियुक्तगण वर्णित अपराध जैसे किसी अपराध में लिप्त नहीं होगे,

3- आवेदकगण/अभियुक्तगण प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से भिज्ञ व्यक्ति को कोई प्रत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगे, जिससे कि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी अन्य पुलिस अधिकारी को प्रकट न करने के लिए मनाया जा सके,

4- आवेदकगण/अभियुक्तगण विचारण के दौरान साक्षी के परीक्षण हेतु उपस्थित होने की दशा में कोई स्थगन प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत नहीं करेगे,

5- आवेदकगण/अभियुक्तगण विचारण के दौरान न्यायालय की वॉछा पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगे,

किसी भी शर्त का उल्लघंन होने की स्थिति में आवेदकगण/अभियुक्तगण की जमानत निरस्त करने के लिए विचारण न्यायालय स्वतन्त्र होगी।

इस आदेश की एक प्रति सम्बन्धित न्यायालय को प्रेषित की जाए।

इस आदेश की एक सॉफ्ट कॉपी आज ही ई-मेल द्वारा सम्बन्धित जेल अधीक्षक के माध्यम से आवेदकगण/अभियुक्तगण को प्रेषित की जाए।

दिनांक/गोरखपुर
02 जून, 2026

(राज कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।
J.O Code- UP1889

Digitally signed by RAJ KUMAR SINGH
Date: 2026.06.02 16:12:18 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court